>

Title: Need to remove the condition for submission of digital map of forest land for undertaking development works in Uttarakhand and also extend time limit for mutation of the forest land in the State for such works.

श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल) : मैं सरकार का ध्यान उत्तराखंड राज्य से संबंधित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूं। केन्द्र सरकार ने सड़कों पुलों अथवा कोई भी निर्माण कार्य यदि वन भूमि पर हो रहा हो तो उसका डिजीटल मैप बनाकर भिजवाना अनिवार्य कर दिया है। जबकि डिजीटल मैप बनाने के साधन लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खंडों के पास नहीं है। साथ ही काटी जा रही वन भूमि के बराबर भूमि का अमल दरामद (दाखिला खारिज) कराने की समय सीमा 90 दिन कर दी है। अमल-दरामद कार्य यदि 90 दिन में पूरा नहीं होता तो संबंधित भूमि पर बनने वाली सड़क अथवा कोई भी निर्माण कार्य रद्द हो जाएगा। गत 3-4 वर्षों से जो योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा वनभूमि की स्वीकृति न मिलने से लंबित थी उन योजनाओं का अब नई व्यवस्था के कारण अनिश्चित काल तक टलने की आशंका है। वन-भूमि की आवश्यकता वाले किसी भी प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा वन विभाग का संयुक्त निरीक्षण होता है। इन तीनों विभागों का एक तिथि में मिलना बड़ा कठिन होता है और कभी-कभी संयुक्त निरीक्षण में एक से डेढ़ साल तक लग जाता है, पहाड़ों में 90 दिन की समयसीमा में दाखिला खारिज का कार्य लगभग असंभव है। डिजीटल मैप प्रस्तुत करने की अतिरिक्त शर्त ने निकट भविष्य में विकास कार्यों को समाप्त कर दिया है।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि लोक निर्माण विभाग में पर्याप्त साधन उपलब्ध होने तक डिजीटल मैप की अनिवार्यता समाप्त की जाए तथा वनभूमि के दाखिला खारिज के लिए 90 दिन की सीमा बढ़ाई जाए ताकि उत्तराखंड में सड़क आदि निर्माण में आ रही कठिनाइयां दूर हो सकें।